विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0–24 का उत्तर :–

.....

प्रश्न	उत्तर
24(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-देवरिया में सरयू नदी पर निर्मित होने वाले मोहन सेतु का शिलान्यास कब किया गया है ?	सेतु का शिलान्यास दिनांक 28.02.2014 को किया गया।
(ख) उक्त सेतु के निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी क्या उसके शासनादेश की प्रति सदन में रखेंगे ?	सेतु के निर्माण हेतु रू0 16114.43 लाख स्वीकृत है। शासनादेश की प्रति संलग्न है।
(ग) उक्त सेतु के निर्माण की भौतिक प्रगति वर्तमान में क्या है ?	वर्तमान में सेतु की भौतिक प्रगति 97 प्रतिशत है।
(घ) उक्त सेतु का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ?	सेतु का निर्माण 03/2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।

संख्या-116 /2022/1054 /23-10-22-195(सेतु)/2013

प्रेषक,

अभय कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ: 19 सितम्बर, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57 एवं अनुदान सं0-83 के अंतर्गत जनपद देवरिया में परसिया देवार विशुनपुर देवार एवं बरहज के सरयू-घाघरा नदी पर सेतु निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियंता(सेतु विंग), उ0प्र0, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-845/नदी सेतु/गोरखपुर क्षेत्र/सेतु-3/22 दिनांक 27.01.22 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद देवरिया में परसिया देवार विशुनपुर देवार एवं बरहज के सरयू-घाघरा नदी पर सेतु निर्माण कार्य हेतु लागत रू0 16125.81 लाख का पुनरीक्षित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त सेतु की मूल स्वीकृति शासनादेश सं0-503/23-10-14-195(सेतु)/13, दिनांक 27.02.2014 द्वारा रू0 9557.38 लाख की प्रदान की गयी।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन, निम्नांकित विवरणानुसार लागत रू0 16114.43 लाख (रूपये एक सौ इकसठ करोड़ चौदह लाख तैंतालिस हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान की जाती हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमसं0	जनपद/कार्य का विवरण	मूल स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत /पुनरीक्षित लागत
1	2	3	4
1-	जनपद देवरिया में परसिया देवार विशुनपुर देवार एवं बरहज के सरयू-घाघरा नदी पर सेतु निर्माण कार्य	9557.38	16114.43
	योग-	9557.38	16114.43

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वितीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) अधिष्ठान व्यय/सैन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए0-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दि0 25.01.2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभागाध्यक्ष द्वारा जमा की जायेगी ।

(6) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(7) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक मे जमा करायी जायेगी ।

(8) विभागाध्यक्ष द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। विभागाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 समिम्मलित न हो।

(9) प्रायोजना में भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 2373.65 लाख यथावत अनुमन्य की गयी है। भूमि अर्जन की कार्यवाही CALA (कम्पीटेन्ट अथारिटी फॉर लैण्ड एक्यूजीशन) के माध्यम से न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

(10) प्रायोजना मे भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय विभागाध्यक्ष द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

(11) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुपालन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय ।

(12) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव में कराये गये कार्यो की लागत को यथावत सम्मिलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा । प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा ।

(13) विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयररेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति के पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(15) प्रश्नगत परियोजना की मूल स्वीकृत विषयक शासनादेश की शर्तो का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) प्रश्नगत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनावंटन की कार्यवाही विभागाध्यक्ष से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के उपरांत की जायेगी ।

(17) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(18) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/वी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 के प्रस्तर-2(10) में वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा । वित्त नियंत्रक द्वारा कार्यदायी संस्था को 02-02 माह की आवश्कतानुसार धनराशि का कोषागार से आहरण किया जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग करने के उपरांत अगले दो माह के लिये उन्हें आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी ।

(19) प्रयोजना का भविष्य में पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(20) भारत सरकार की कोविड-19 हेतु जारी गाइड लाइन्स का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा ।

3- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-57 के लेखाशीर्षक 5054-सडको तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल-सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)-0421-कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य तथा अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक 5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-14-कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-119/दस-2022-23, दिनांक 15 सितम्बर, 2022 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-116/2022/1054(1)/23-10-22,तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) मण्डलायुक्त, गोरखपुर / जिलाधिकारी, देवरिया ।
(3) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ ।
(4) मुख्य अभियंता(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(5) मुख्य अभियंता, गोरखपुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(7) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2/ गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।